

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. कृषि उत्पादन आयुक्त,
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,
वित्त, संस्थागत वित्त, कृषि, सहकारिता, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स, राजस्व
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0,
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0,
5. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ0प्र0,

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-6

दिनांक : 24 जून, 2017

विषय:-प्रदेश सरकार की लघु एवं सीमांत किसानों के उन्नयन एवं सतत् विकास हेतु
फसल ऋण मोचन योजना के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में विकास के नये आयाम स्थापित करने के लिये कृषि को विकास का आधार बनाये जाने के निमित्त लोक कल्याण संकल्प पत्र में की गयी उद्घोषणा की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से लघु एवं सीमांत किसानों के उन्नयन एवं उनके सतत् विकास के लिये उनके फसली ऋण के मोचन का निर्णय शासनादेश सं0-134बी/01(बी)सं0वि0क0नि0-06/2017 दिनांक 07 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रसारित करते हुये विषयगत मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था तथा कार्यालय ज्ञाप सं0-298 (1)/10-17-20सं0वि0क0नि0-06/2017 दिनांक 09 मई, 2017 द्वारा समिति के निदेश पद (Terms of Reference) निर्धारित किये गये थे। समिति से योजना के क्रियान्वयन हेतु संगत पहलुओं पर विचार कर योजना के स्वरूप के निर्धारण करने और योजना के वित्त पोषण के लिये आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था किये जाने के लिये सुविचारित प्रस्ताव की अपेक्षा की गयी थी। समिति की संस्तुतियों के आधार पर मामले में सुविचारित योजना

निर्धारित की गयी है जो आवश्यक प्रभावी कार्यवाही हेतु संलग्न है। फसली ऋण मोचन के इस दस्तावेज में योजना का स्वरूप, किसानों की पात्रता, क्रियान्वयन की रूपरेखा, हितधारकों के रूप में कृषि विभाग, संस्थागत वित्त विभाग, राजस्व विभाग, एन.आई.सी., ऋण प्रदाता संस्थाओं आदि की भूमिका एवं दायित्व तथा शिकायत निवारण प्रणाली के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देशों का समावेश किया गया है।

2. इस योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला, मण्डल और राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। समितियों के उत्तरदायित्वों का उल्लेख दस्तावेज में स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया गया है।

3. योजना के क्रियान्वयन हेतु कृषि विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है, जो अपने आय-व्ययक में योजना के पोषण हेतु आवश्यक धनराशि का प्राविधान करायेगा और निस्तारण करेगा तथा संप्रेक्षण की कार्यवाही भी अपने स्तर से सुनिश्चित करेगा। योजना से संबंधित अन्य विषयों पर कार्यवाही कृषि विभाग द्वारा की जायेगी।

4. योजना से संबंधित शिकायतों का निवारण जिला/मण्डलीय स्तरीय गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसका अनुश्रवण कृषि विभाग करेगा।

5. लघु एवं सीमान्त किसानों के उन्नयन एवं सतत् विकास के लिए ऋण मोचन की उपरोक्त योजना में समय-समय पर यथा आवश्यकता अनुसार किसी उपांतरण, परिवर्तन, संशोधन करने या स्पष्टीकरण जारी करने के लिये मा0 मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

अतएव उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में समुचित आवश्यक कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करने का कष्ट करें ताकि योजना के उद्देश्यों को सुगमता से प्राप्त किया जा सके।

संलग्नक: यथोक्त।


भवदीय,
राहुल भटनागर
मुख्य सचिव।

संख्या- /क0नि0-6-2017-01(बी)/2017/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को योजना के दस्तावेज की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. संचिव, वित्त विभाग (श्री मुकेश मित्तल)।
3. विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. विशेष सचिव, वित्त विभाग (श्री नील रतन कुमार)।
6. विशेष सचिव, गोपन, अनुभाग-1
7. महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ0प्र0 को समस्त ऋण प्रदाता संस्थाओं को प्रेषण हेतु।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्क।
9. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।

आज्ञा से,


(डा0 अनूप चन्द्र पाण्डेय)
अपर मुख्य सचिव,
संस्थागत वित्त विभाग।